न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ (राज.)

बः इजलास– श्री सुरेश राव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–21/2022

जी.सी.एम.एस. नं. – 2022/28

जसवन्त सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––वादी

बनाम्

1. राजपाल कौर पुत्री नेता सिह जाति जटसिख निवासी आजमवाला हाल निवासी राजपुरा तहसील फाजिल्का जिला मुक्तसर पंजाब।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांकः–12.11.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वही है जो वाद के शीर्षक में दर्ज है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ग्राम नं. 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को इस वाद–पत्र में आयन्दा वादाधीन कृषि भूमि कहा जावेगा। वादाधीन कृषि भूमि की प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या नया 32 सलंग्न मुकद्मा है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/385 मुरब्बा नम्बर 31 का 6.325 हैक्टर व पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का 6.325 हैक्टर कुल 12.650 हैक्टर कमांड खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि में से 1.405 हैक्टर कमाड खातेदारी रकबा हिस्सा में था जो 1.405 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31–03–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को प्रतिफल की ऐवज में विक्रय कर दिया। फोटो प्रति बैयनामा दिनाक 31.3.2017 सलंग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 19 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 295/382 मुरब्बा नम्बर 29 का 2.783 हैक्टर संयुक्त कृषि भूमि में से 0.309 हैक्टर कमांड खातेदारी रकबा हिस्सा था जो 0.309 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31–03–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को प्रतिफल की ऐवज में विक्रय कर दिया। फोटो प्रति बैयनामा सलंग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 14 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 278/380 मुरब्बा नम्बर 48 का 2479 हैक्टर संयुक्त कृषि भूमि में 0.276 हैक्टर कमांड खातेदारी रकबा हिस्सा था जो 0.276 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31–03–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को प्रतिफल की ऐवज में विक्रय कर दिया। फोटो प्रति बैयनामा सलंग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 16 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 289/383

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.28 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मुरब्बा नम्बर 09 का 1.265 हैक्टर कमाण्ड एवं पत्थर नम्बर 288/383 मुरब्बा नम्बर 10 का 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी इस प्रकार कुल 7.590 हैक्टर संयुक्त कृषि भूमि में से 0.843 हैक्टर कमाड खातेदारी रकबा हिस्सा था जो 0.843 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31-03-2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को प्रतिफल की ऐवज में विक्रय कर दिया। फोटो प्रति बैयनामा सलंग्न है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 5 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 295/392 मुरब्बा नम्बर 19 का 6.072 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि मे से 0.674 हैक्टर कमाड खातेदारी रकबा हिस्सा था जो 0.674 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31-03-2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को प्रतिफल की ऐवज मे विक्रय कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को उक्त पंजीकृत बैयनामाजात के जरिये चक 18 एस जे एम का 1.405 हैक्टर रकबा + चक 19 एसजेएम का 0.309 हैक्टर रकबा + चक 14 एसजेएम का 0.276 हैक्टर रकबा + चक 16 एसजेएम का 0.843 हैक्टर रकबा + चक 5 एलएसएम का 0.674 हैक्टर रकबा इस प्रकार कुल 3.508 हैक्टर रकबा विक्रय कर दिया। अब दिनांक 31.1.2022 को वादी उक्त बैयनामाजात के आधार पर नामान्तरण करवाने हेतु पटवारी हल्का आया तो वादी को ज्ञात हुआ कि चक 18 एसजेएम, 19 एसजेएम, 16 एसजेएम, 14 एसजेएम, 5 एलएसएम की पैरा संख्या 3 में वर्णित कुल 3.508 हैक्टर वादी की प्रतिवादी संख्या 1 से खरीदशुदा कृषि भूमि संयुक्त खाता में थी जिसके संबंध बंटवारा का वाद उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सह-काश्तकारान के मध्य न्यायालय में चल रहा था और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा पारित बंटवारा की डिक्री एवं श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी निर्णय के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को वाद हाजा के पैरा संख्या 3 में वादी को विक्रय की गई भूमि की ऐवज में वाद-पत्र पैरा संख्या 2 में दर्ज ग्राम नं. 1 8 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3 508 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि राजस्व रिकॉर्ड में जरिये दिनांक 3-7-2017 को दर्ज हुई जिसका नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुआ। वादी ने दिनांक 31.1.2022 को पटवारी हल्का एवं तहसीलदार साहब से बैयनामाजात के आधार पर नामान्तरण का आग्रह किया तो उन्होंने असमर्थता जाहिर करते हुए न्यायालय से आदेश लाने का कहा । वादी यहां यह भी व्यक्त करता है कि- ग्राम नं. 1 8 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290 / 386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि पर बहैसियत खरीददार मौका पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है व मौका पर वादी की फसल बीजान्द है। आज से अर्सा दस रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर आग्रह किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद-पत्र के पैरा संख्या 3 में कृषि भूमि वादी को जरिये बैयनामाजात विक्रय कर दी थी लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ मे बंटवारा के दावा के निर्णय व उपखण्ड अधिकारी महोदय के इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर मुझ वादी को विक्रयशुदा भूमि की ऐवज में वाद-पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दिनांक 3-7-2017 को दर्ज हुई है इसलिए वाद-पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज करवावे तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से स्पष्ट मना हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.28 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश सैप आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

गयी तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने माननीय उपखण्ड अधिकारी के दावा, डिक्री व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्रति देते वादी को कहा कि चूंकि न्यायालय के निर्णय से भूमि मेरे नाम हो गयी है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी वादाधीन कृषि भूमि का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवा लेवे। बस यही वाद कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है संयुक्त खाता की कृषि भूमि के बंटवारा के वाद में मूल खातेदार विक्रेता को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि या जो अधिकार प्राप्त होंगे वही कृषि भूमि एवं अधिकार क्रेता को प्राप्त होंगे। चूंकि वाद–पत्र के पैरा संख्या 3 की वादी विक्रयशुदा भूमि की ऐवज में बंटदारा के दावा में वाद–पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है इसलिए वाद–पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवाने एवं वादाधीन कृषि भूमि का वादी स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने का अधिकारी है। अत: वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद–पत्र वादी बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न रूप से निर्णीत एवं डिक्री फरमाया जावे। विवादित कृषि भूमि ग्राम न. 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला न. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे एवं वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे व वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार को आदेशित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रकरण के संबध प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाल दावा (जवाब– दावा) पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत बैयनामाजात के जरिये वादी को इस मद में वर्णित अनुसार चक 18 एस जे एम का पत्थर नम्बर 290/385 मुरब्बा नम्बर 31 का 1.405 हैक्टर रकबा + चक 19 एसजेएम का पत्थर नम्बर 295/382 मुरब्बा नम्बर 29 का 0.309 हैक्टर रकबा + चक 14 एसजेएम का पत्थर नम्बर 278/380 मुरब्बा नम्बर 48 का 0.276 हैक्टर रकबा + चक 16 एसजेएम का पत्थर नम्बर 289/383 मुरब्बा नम्बर 09 का 0.843 हैक्टर रकबा + चक 5 एलएसएम का पत्थर नम्बर 295/392 मुरब्बा नम्बर 19 का 0.674 हैक्टर रकबा इस प्रकार कुल 3.508 हैक्टर रकबा विक्रय किया गया है। वाद–पत्र में दर्ज कि चक 18 एसजेएम, 19 एसजेएम, 16 एसजेएम, 14 एसजेएम 5 एलएसएम की संख्या 3 में वर्णित कुल 3.508 हैक्टर कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 से वादी ने खरीदी थी वह संयुक्त खाता में थी जिसके संबंध बंटवारा का वाद उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व [illegible] काश्तकारान के मध्य न्यायालय में चल रहा था और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा पारित बंटवारा की डिक्री एवं श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी निर्णय के आधार पर पैरा संख्या 3 में दर्ज चक 18 एस जे एम का पत्थर नम्बर 290/385 मुरब्बा नम्बर 31 का 1.405 हैक्टर रकबा + चक 19 एसजेएम का पत्थर नम्बर 295/382 मुरब्बा नम्बर 29 का 0.309 हैक्टर रकबा + चक 14 एसजेएम का पत्थर नम्बर 278/380 मुरब्बा नम्बर 48 का 0.276 हैक्टर रकबा + चक 16 एसजेएम का पत्थर नम्बर 289/383 मुरब्बा नम्बर 09 का 0.843 हैक्टर रकबा + चक 5 एलएसएम का पत्थर नम्बर 295/392 मुरब्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.28 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नम्बर 19 का 0.674 हैक्टर रकबा इस प्रकार कुल 3.508 हैक्टर रकबा जो कि वादी को मुझ प्रतिवादी स. 1 द्वारा विक्रय किया गया है, की ऐवज में ग्राम नं. 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि राजस्व रिकॉर्ड में जरिये दिनांक 3-7-2017 को दर्ज हुई जिसका नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुआ। प्रतिवादी सं. 1 से खरीदशुदा उक्त कृषि भूमि की ऐवज में वादी ग्राम नं. 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर कमांड खातेदारी कृषि पर बहैसियत खरीददार मौका पर शान्तिपूर्वक बहैसियत खरीददार वादी काबिज काश्त है व मौका पर वादी की फसल बीजान्द है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर मेरे मन में लालच आने पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि वादी के नाम करवाने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब प्रतिवादी सं. 1 हृदय परिवर्तन हो गया है इसलिए न्यायालय के बंटवारा निर्णय/डिक्री के आधार पर प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि ग्राम नं. 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर वादी के नाम से दर्ज की जाती है या वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी सं. 1 का कोई ऐतराज नहीं है। स्टेट जवाब अनुसार राजय हित को सुरक्षित रखते हुये यदि वाद डिक्री किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों एवं प्रतिवादी राजपाल कौर एवं राज्य पक्ष की अनापत्ति के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व तहसीलदार रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में विवादित कृषि भूमि चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाकर वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। उक्त का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नम्बर 290/386 मुरब्बा नम्बर 32 का किला नं. 12/2, 13 ता 25 का कुल 3.508 हैक्टर भूमि का वादी जसवन्त सिंह को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी राजपाल कौर का नाम हटाया जाकर वादी जसवंत सिंह के नाम भूमि अमलदरामद करने का आदेश प्रतिवादी तहसीलदार, अनूपगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **12.11.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.28 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़
सत्यमेव जयते

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़
अनूपगढ़